न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 455 सन 2022

अनवान :–

1. कृष्ण कुमार पुत्र दीपाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।
2. शिशपाल पुत्र दीपाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. कलावती पुत्री दीपाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. रामेश्वरलाल पुत्र दीपाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. लिच्छी पुत्री दीपाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4. सावित्री पुत्री दीपाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
5. रूकमा पुत्री दीपाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
6. कैलाश पुत्र चन्दो पुत्री दीपराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
7. दुर्गा पुत्री चन्दो पुत्री दीपाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
8. महावीर पुत्र चन्दो पुत्री दीपाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
9. रोशनी पुत्री चन्दो पुत्री दीपाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
10. मोहरसिह पुत्र चन्दो पुत्री दीपाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 29/06/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 476 की कुल 1.075हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादीगण के पिता दीपाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहानत होने पर वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के नाम दर्ज हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे सयुक्त खाते में दर्ज है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के नाम दर्ज हुई है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 वादीगण की बहने/भाई है एवं दीपाराम के पुत्री/पुत्र है प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 वादीगण की मृतक बहन चन्दो के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 को कई मर्तबा कहा की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 जो वादी के भाई/बहन है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

Scanned with CamScanner

1 ता 10 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में उनके पिता दीपाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के नाम दर्ज हुई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयो वादीगण के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीगण के नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 11 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 476 की कुल 1.075हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादीगण के पिता दीपाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहानत होने पर वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के नाम दर्ज हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे सयुक्त खाते में दर्ज है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के नाम दर्ज हुई है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 वादीगण की बहने/भाई है एवं दीपाराम के पुत्री/पुत्र है प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 वादीगण की मृतक बहन चन्दो के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 476 की कुल 1.075हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के दर्ज है।

वादीगण का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के पिता दीपाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहानत होने पर विरास्तन से वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के नाम दर्ज हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के नाम सयुक्त खाते में दर्ज है प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम बाहमी बटवारा के अनसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
कोटड़ा

Scanned with CamScanner

साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 476 की कुल 1.075हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के दर्ज है में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 प0न0 138/33(750) के किला न0 11/2 की 0.0630हैक व किला न0. 20/0.2530हैक कुल 0.316हैक एव वादी संख्या 2 प0न0 97/39 (661) के किला न0 1 ,10 ,11/0.759हैक भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 29/06/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. कृष्ण कुमार पुत्र दीपाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।
2 शिशपाल पुत्र दीपाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1 कलावती पुत्री दीपाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2 रामेश्वरलाल पुत्र दीपाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3 लिच्छी पुत्री दीपाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4 सावित्री पुत्री दीपाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
5 रूकमा पुत्री दीपाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
6 कैलाश पुत्र चन्दो पुत्री दीपराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
7 दुर्गा पुत्री चन्दो पुत्री दीपाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
8 महावीर पुत्र चन्दो पुत्री दीपाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
9 रोशनी पुत्री चन्दो पुत्री दीपाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
10 मोहरसिह पुत्र चन्दो पुत्री दीपाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
11 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 455 सन 2022 निर्णय दिनांक– 29/06/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि कि रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 476 की कुल 1.075हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के दर्ज है में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 प0न0 138/33(750) के किला न0 11/2 की 0.0630हैक व किला न0. 20/0.2530हैक कुल 0.316हैक एव वादी संख्या 2 प0न0 97/39 (661) के किला न0 1 ,10 ,11/0.759हैक भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner